डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजीयन क्रमांक रायपुर डिवीजन

सत्यमेव जयते

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 160] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 2 अगस्त 2001—श्रावण 11, शक 1923

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 17 सन् 2001)

छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2001

विषय-सूची

खण्ड :

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 17 सन् 2001)

छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2001

[छत्तीसगढ़] विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972, (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा जायेगा) को संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

1. यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन)अधिनियम, 2001 कहलायेगा.

विस्तार तथा प्रारंभ.

2. यह संशोधन सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में लागू होगा और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने की तिथि से प्रभावशील होगा.

नई धारा 4-ख तथा 4-ग का प्रतिस्थापन.

3. मूल अधिनियम की धारा 4-क के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाएं, अर्थात् :—

"**4-ख अर्दली भत्ता :—** प्रत्येक सदस्य को एक हजार रुपये प्रतिमाह की दर से अर्दली भत्ता दिया जाएगा.

4-ग दैनिक भत्ता :— प्रत्येक सदस्य को तीन सौ रुपये की दर से दैनिक भत्ता दिया जाएगा."

धारा 5-क का लोप और नई धारा का प्रतिस्थापन.

4. मूल अधिनिमय की धारा 5-क को विलोपित किया जाय, और निम्न धारा प्रतिस्थापित की जाए :—

"**5-क वायुयान और रेल द्वारा निःशुल्क अभिवहन :—** (1) प्रत्येक सदस्य, ऐसे नियमों के अध्यधीन रहते हुए जो कि राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में बनाये जाय, भारत वर्ष के भीतर निःशुल्क रेल और हवाई यात्रा का हकदार होगा और रेल यात्रा के संबंध में उसे कूपन उपलब्ध कराये जायेंगे तथा उपरोक्त यात्रा पर एक वित्तीय वर्ष के दौरान पचहत्तर हजार रुपये से अधिक का व्यय नहीं होगा,

परन्तु, प्रत्येक सदस्य केवल तीन, आने-जाने की हवाई यात्रा का हकदार होगा,

परन्तु, यह भी कि प्रत्येक सदस्य रेल यात्रा के दौरान एक और व्यक्ति के साथ यात्रा करने का हकदार होगा.

परन्तु यह और की समितियों की बैठक में उपस्थित होने के लिये सदस्यों द्वारा की गई यात्राएं इस उप-धारा में उल्लेखित वित्तीय सीमा से बाहर रहेंगी.

(2) धारा 6-क के अधीन पेंशन के हकदार प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे नियमों के अध्यधीन रहते हुए जो कि राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में बनाए जाएं, अकेले या एक अन्य व्यक्ति के साथ एक वित्तीय वर्ष के दौरान यात्रा हेतु चालीस हजार रुपये मूल्य के कूपन की पात्रता होगी."

धारा 5-ख का विलोपन.

5. मूल अधिनियम की धारा 5-ख को विलोपित किया जाय.

धारा 6-का विलोपन और नवीन धारा का प्रतिस्थापन.

6. मूल अधिनियम की धारा 6 समाप्त की जाय और निम्न धारा प्रतिस्थापित की जाय :—

"**धारा 6-यात्रा भत्ता :—** प्रत्येक सदस्य को प्रत्येक ऐसी यात्रा के लिए जो कि उसने राज्य के भीतर या राज्य के बाहर किसी सत्र में या किसी समिति के किसी सम्मिलन में उपस्थित होने के प्रयोजन के लिए अपने प्राथमिक निवास-स्थान से उस स्थान तक की हो, जहां कि वह सत्र या सम्मिलन किया जाना है और ऐसे स्थान से उसके प्राथमिक निवास-स्थान की वापसी यात्रा-के लिए, ऐसी दरों से जो कि विहित की जाएं, यात्रा भत्ता दिया जाएगा."

उद्देश्यों और कारणों का कथन

विधान सभा के सदस्यों को अविभाजित मध्यप्रदेश में अर्दली सुविधा दी जाती रही, परन्तु छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्यों को अर्दली की सुविधा उपलब्ध नहीं करायी गयी है. अत: अर्दली भत्ता दिया जाना आवश्यक है. इसी तरह वर्तमान में केवल सत्र के दौरान एवं समितियों की बैठक के समय ही सदस्यों को दैनिक भत्ता दिया जाता है, उसके स्थान पर उन्हें उनकी सम्पूर्ण पदावधि के दौरान दैनिक भत्ता दिया जाना आवश्यक है क्योंकि उन्हें सम्पूर्ण पदावधि के दौरान लोक महत्व के उत्तरदायित्व का निर्वहन करना पड़ता है.

इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ राज्य में रेल सुविधाएं कम है एवं मध्यप्रदेश की यात्रा भी अब प्रदेश के बाहर की यात्रा मानी जावेगी. इसलिए राज्य के बाहर की यात्रा की किलोमीटर सीमा समाप्त कर प्रदेश के भीतर एवं बाहर की यात्रा के लिए एकमुश्त राशि दिया जाना आवश्यक है जिसमें तीन हवाई यात्राएं भी शामिल हों.

इसलिए उपरोक्त प्रावधान रखने हेतु मूल अधिनियम में यथोचित रूप से संशोधन किया जाना आवश्यक है.

अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर :

तारीख : 23 जलाई 2001,

रविन्द्र चौबे

भारसाधक सदस्य.

''संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित''

भगवानदेव ईसरानी

सचिव,

छत्तीसगढ़ विधान सभा

वित्तीय ज्ञापन

इस विधेयक के खण्ड 3, 4, 5 एवं 6 में प्रस्तावित प्रावधान किये जाने के परिणामस्वरूप राज्य शासन पर प्रतिवर्ष अनुमानत: रुपये 2,14,05,000/- (रुपये दो करोड़, चौदह लाख, पांच हजार रुपये मात्र) का आवर्ती वित्तीय भार आवेगा.

उपाबंध

[छत्तीसगढ़] विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 की धारा 5-क, 5-ख एवं 6 के सुसंगत उद्धरण

[(5-क)' (1)] प्रत्येक सदस्य को रेल कूपन दिये जायेंगे जो ऐसे नियमों के अध्यधीन रहते हुए जो कि राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में बनाये जायें, उसे और उसके साथ जाने वाले एक व्यक्ति को प्रथम श्रेणी द्वारा या वातानुकूलित शयनयान द्वारा या द्वितीय श्रेणी शयनयान द्वारा या द्वितीय श्रेणी द्वारा किसी भी रेल से,

(एक) राज्य के भीतर बिना किसी निर्बन्धन के, और

(दो) राज्य के बाहर प्रति वित्तीय वर्ष 6000 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए हकदार बनायेंगे.

(2) जब तक कि किसी सदस्य को उपधारा (1) के अधीन निःशुल्क रेल कूपन नहीं दिया जाता तब तक धारा 6 में विनिर्दिष्ट किये गये प्रकार की किसी ऐसी यात्रा के लिए जो कि उसने रेल द्वारा की हो, एक प्रथम श्रेणी यात्रा भाड़े के बराबर रकम पाने का हकदार होगा.

(3) धारा-6-क के अधीन पेंशन के हकदार प्रत्येक व्यक्ति को रेल के कूपन दिये जायेंगे जो कि ऐसे नियमों के अध्यधीन रहते हुए, जो कि राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में बनाये जाएं, उसे प्रथम श्रेणी द्वारा अथवा द्वितीय श्रेणी वातानुकूलित शयनयान द्वारा अकेले अथवा द्वितीय श्रेणी शयनयान या द्वितीय श्रेणी द्वारा अपनी पत्नी/अपने पति या एक परिचारक के साथ किसी भी रेल से-

(एक) राज्य के भीतर बिना किसी निर्बन्धन के, और

(दो) राज्य के बाहर प्रति वित्तीय वर्ष 3000 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए हकदार बनायेंगे.

[(5-ख).' (1)] इस अधिनियम के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जहां किसी सत्र में या किसी समिति के किसी सम्मिलन में उपस्थित होने के प्रयोजन के लिये आवश्यक हो, कोई सदस्य अपने निर्वाचन स्थान के निकटतम विमान पतन के सत्र या सम्मिलन के स्थान तक वायुयान से यात्रा करता है तो वह दोनों तरफ की ऐसी यात्रा के लिए वायुयान के किराये की प्रतिपूर्ति का वातानुकूलित शयनयान, के रेल किराया के दुगुने के बराबर की रकम की सीमा तक हकदार होगा.

परन्तु उस दशा में जबकि बैठक का स्थान रेल से जुड़ा हुआ न हो तब सदस्य अंतिम रेल्वे स्टेशन से लेकर बैठक के स्थान तक अपने द्वारा की गई यात्रा के लिए वायुयान के वास्तविक किराये के लिए हकदार होगा.

[(5-ख).' (2)] इस अधिनियम के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जहां आवश्यक हो, कोई सदस्य, जो राज्य के भीतर या बाहर वायुयान से यात्रा करता है, ऐसे नियमों के अध्यधीन रहते हुए, जो कि राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाये जायं, दोनों तरफ की ऐसी यात्रा के लिए वायुयान के किराए की प्रतिपूर्ति हेतु उतनी रकम के लिए हकदार होगा जो वातानुकूलित शयनयान के रेल किराए के दुगुने के बराबर हो,

परन्तु किसी एक वित्तीय वर्ष में, किसी सदस्य द्वारा धारा-5-क के अधीन राज्य के बाहर रेल द्वारा की गई यात्रा तथा इस उपधारा के अधीन राज्य के बाहर वायुयान द्वारा की गई यात्रा पर किया गया कुल व्यय 6000 किलोमीटर के लिये वातानुकूलित शयनयान के रेल किराये के दुगुने के बराबर की रकम से अधिक नहीं होगा.

[6' (1)] उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक सदस्य को प्रत्येक ऐसी यात्रा के लिये जो कि उसने राज्य के भीतर या राज्य के बाहर, किसी सत्र में या किसी समिति के किसी सम्मिलन में उपस्थित होने के प्रयोजन के लिये अपने प्राथमिक निवास स्थान से उस स्थान तक की हो, जहां कि वह सत्र या सम्मिलन किया जाना है और ऐसे स्थान से उसके प्राथमिक निवास स्थान तक की वापसी यात्रा के लिए ऐसी दरों से जो कि विहित की जायें, यात्रा दैनिक भत्ते दिये जायेंगे.

(2) प्रत्येक ऐसे सदस्य को, जो सम्मिलन के स्थान पर या उससे 8 किलोमीटर की दूरी के भीतर मामूली तौर पर निवास करता है, ऐसी दरों से, जो कि विहित की जाय, दैनिक भत्ता दिया जायेगा.

भगवानदेव ईसरानी
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.